

सं० 1241-अस-17/पाकालि/2001-11४४एफ/86 टी.सी. दि० 20 अप्रैल 2001

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती पारिषद ने अपने कार्यालय ज्ञाप सं० 4102-अस-17/राविप/98-11४४एफ/86 दिनांक 11 जून 1998 संप्रोक्त कार्यालय ज्ञाप सं० 2340-अस-17/पाकालि/

2000-11४४एफ/86 दिनांक 11 अगस्त 2000 द्वारा स्वेच्छा से राज्य के बाहर

मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में हृदय की बाईपास सर्जरी, पेसमेकर लगवाना, गुदा

प्रत्यारोपण, हृदय या मोस्तेष्क की वृहद शल्य क्रिया, कैंसर पर हुए व्यय का 75%

प्रतिपूर्ति उक्त कार्यालय ज्ञापों में इंगित शर्तों के प्रतिबन्धाधीन अनुमन्य की थी।

2. उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत सन्धक विचारोपरान्त पावर कारपोरेशन ने यह निर्णय

लिया है कि यदि प्रदेश के बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में चिकित्सक कराया

जाती है तो उन बीमारियों को चिकित्सा हेतु भी, जिनके लिए उन चिकित्सालयों

को अधिकृत नहीं किया गया है, चिकित्सा व्यय की 75% प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

3. साथ ही, प्रदेश से बाहर स्वेच्छा से गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सक संस्थान में

चिकित्सा कराए जाने पर, प्रशस्त चिकित्सा पर ओखल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

नई दिल्ली/संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में उक्त चिकित्सा

कराने पर जो व्यय आता उसके समतुल्य अथवा वास्तविक चिकित्सक व्यय का 70%

अन्तर्गत प्रतिशत धनराशि जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

4. आदेश सं० 4102-अस-17/राविप/98-11४४एफ/86 दिनांक 11 जून 1998

के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

5. यह आदेश दिनांक 17.2.2001 से प्रभावी होगा।

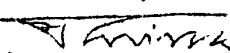
निदेशक ४ का. प्र. एवं प्रशासन

सं० 1241 -1-अस-17/पाकालि/2001 तदोदिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० उर्जा मंत्री/मा० उर्जा राज्य मंत्री, उ० प्र० शासन के निजी सचिव को।
2. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
3. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
4. समस्त आध्यात्मिक अभियन्ता, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
5. मुख्य/अभियन्ता/जल विद्युत/अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
6. अनुसूचिव, वित्त एवं कार्मिक नीति, उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ० प्र० रा० उ० ने० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
8. कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/प्रशासनिक एवं लेखा सन्ध 1।

आज्ञा से,


४ रावि प्रकाश मिश्र
कार्मिक अधिकारी